संख्याः– 18 /XXVII(1)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 06 :जनवरी,2011

विषयः–द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु नगरपालिका परिषदों को चतुर्थ त्रैमासिक की किश्त हेतु धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 32 नगरपालिका परिषदों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 की चतुर्थ त्रैमासिक की किश्त हेतु **रु0 233858000.00 (रू0 तेईस करोड़ अड़तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)** की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्याः– 18 (1)/XXVII(1)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

5/1/11

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः 18 / XXVII (i) / 2011
दिनांकः 06 :जनवरी,2011 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2010–11 हेतु नगर पालिकाओं को देय संकमण।

(धनराशि हजार में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	चतुर्थ किश्त
1	2	3
1–नगर पालिका परिषद		
1	उत्तरकाशी	7495
2	जोशीमठ	5678
3	चमोली / गोपेश्वर	7362
4	नई टिहरी	8509
5	नरेन्द्र नगर	1753
6	मसूरी	21946
7	विकासनगर	2097
8	ऋषिकेश	9830
9	कोटद्वार	6490
10	श्रीनगर	3659
11	पौड़ी	8825
12	टनकपुर	2820
13	रामनगर	4620
14	नैनीताल	12140
15	हल्द्वानी	20957
16	जसपुर	5016
17	काशीपुर	11046
18	बाजपुर	2662

(धनराशि हजार में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	चतुर्थ किश्त
1	*2*	*3*
19	गदरपुर	2521
20	रूद्रपुर	17350
21	किच्छा	4144
22	सितारगंज	3252
23	खटीमा	3340
24	रूड़की	11251
25	मंगलौर	3393
26	हरिद्वार	21106
27	पिथौरागढ़	10201
28	अल्मोड़ा	5606
29	बागेश्वर	2714
30	रूद्रप्रयाग	4673
31	दुग्गड्डा	590
32	भवाली	812
	योग	**233858**

(रू0 तेईस करोड़ अड़तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।